

(TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (I) OF THE
GAZETTE OF INDIA)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, Dated the 16th September, 2005

Notification

G.S.R....., In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – In the rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005;

(b) 'section' means section of the Act;

(c) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. A request for obtaining information under sub-section (1) of section 6 shall be accompanied by an application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority.

4. For providing the information under sub-section (1) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:-

(a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;

Contd....

- (b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
- (c) actual cost or price for samples or models; and
- (d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction thereof) thereafter.

5. For providing the information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:-

- (a) for information provided in diskette or floppy rupees fifty per diskette or floppy; and
- (b) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.


(Hari Kumar)
Director

[F.No. 34012/8(s)/2005-Estt. (B)]

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

सा.का.नि..... केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।
3. धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रूपए की आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय होगा ।
4. धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:-

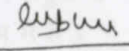
- (क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रूपए;

.....2/-

- (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;
- (ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और
- (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पाँच रूपए की फीस ।

5. धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:-

- (क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्कट या फ्लॉपी, पचास रूपए; और
- (ख) मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपए ।


(हरि कुमार)

निदेशक

[फा.सं.-34012/8(एस.)/2005-स्थापना(ख)]

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी,

नई दिल्ली ।